क्र० संख्या /रिक/6733.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23/27 के अधीन 7 जुलाई, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त पाला राम को 1000/-रुपये की राशि 14% वार्षिक ब्याज की दर सहित 23 मार्च, 1988 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 1000/- रुपये की राशि 23 मार्च, 1988 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 14% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त पाला राम से देय है और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्ज की वसूली की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

1. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुकडेविट एवं अन्य यन्त्र।
2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।
3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

क्र० संख्या/रिक/6738.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23/27 के अधीन 7 जुलाई, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त जयप्रकाश को 2000/-रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर सहित 23 अक्तूबर, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 4090/- रुपये की राशि 26 जून, 2003 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त जयप्रकाश से देय है और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्ज की पूर्ति की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

1. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुकडेविट एवं अन्य यन्त्र।
2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।
3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

क्र० संख्या/रिक/6743.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23/27 के अधीन 9 जुलाई, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त रुलदा पुत्र श्री मांगा को 1000/-रुपये की राशि 14% वार्षिक ब्याज की दर सहित 2 अगस्त, 2003 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 1000/- रुपये की राशि 31 मार्च, 1990 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 14% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त रुलदा पुत्र श्री मांगा से देय है और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्ज की वसूली की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

1. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुकडेविट एवं अन्य यन्त्र।
2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।
3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

क्र० संख्या रिक/6748.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम 1935 की धारा 23/27 के अधीन 25 जुलाई, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त धर्मपाल को 1000/-रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर सहित 25 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 800/- रुपये की राशि 25 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त धर्मपाल से देय है और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्ज की वसूली की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

1. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुकडेविट एवं अन्य यन्त्र।
2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।
3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

(हस्ता.). . .,

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द।

36461—C.S.—H.G.P., Chd.